

## बाल सुरक्षा नीति

### 1. नीति विवरण

रीठी फारू रिज़ॉर्ट उन सभी बच्चों और युवाओं की भलाई की रक्षा और संवर्धन करने के अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है, जो हमारी सेवाओं, कर्मचारियों या सुविधाओं के संपर्क में आ सकते हैं। हम राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (जिसमें बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन शामिल है), और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बाल सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सभी परिस्थितियों में बच्चों की भलाई और हित सर्वोपरि हैं। यह नीति यह सुनिश्चित करती है कि, उम्र, लिंग, धर्म या विश्वास, जातीयता, विकलांगता, यौन अभिविन्यास, या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, सभी बच्चों को:

- रिज़ॉर्ट या उसके उप-ठेकेदारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी गतिविधियों और सेवाओं के दौरान एक सुरक्षित, सकारात्मक और सुखद अनुभव मिले।
- शोषण, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के सभी रूपों से संरक्षित रखा जाए।

### 2. नीति का उद्देश्य

इस बाल सुरक्षा नीति का उद्देश्य रीठी फारू रिज़ॉर्ट के संपर्क में आने वाले बच्चों, चाहे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट ढांचा स्थापित करना है। इस नीति का लक्ष्य है:

- रिज़ॉर्ट के संचालन, गतिविधियों और साझेदारियों के भीतर बाल शोषण, दुरुपयोग और उपेक्षा के सभी रूपों को रोकना।
- बच्चों के साथ बातचीत करते समय कर्मचारियों, ठेकेदारों और व्यावसायिक भागीदारों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन और व्यवहार के मानक प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि किसी भी चिंता या घटना को संभालने के लिए प्रभावी रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया तंत्र मौजूद हैं।
- एक सुरक्षित, सम्मानजनक और सहायक वातावरण को बढ़ावा देना जहाँ बच्चों को महत्व दिया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है और उन्हें सशक्त बनाया जाता है।
- बच्चों की सुरक्षा पर घरेलू कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ रिज़ॉर्ट के संचालन को संरेखित करना।

### 3. दायरा

यह नीति निम्न पर लागू होती है:

- रीठी फारू रिज़ॉर्ट के सभी कर्मचारी, ठेकेदार और उप-ठेकेदार।
- वे अतिथि और आगंतुक जिनके बच्चों के साथ बातचीत शामिल है।
- रिज़ॉर्ट के साथ जुड़े व्यापारिक भागीदार, आपूर्तिकर्ता और स्थानीय समुदाय।

### 4. परिभाषाएँ

- **बच्चा:** अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति।
- **बाल संरक्षण:** बच्चों को प्रभावित करने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण और हिंसा को रोकना और उन पर प्रतिक्रिया करना।
- **शोषण:** इसमें वाणिज्यिक यौन शोषण, बाल श्रम, तस्करी और बच्चों के हानिकारक उपयोग का कोई भी अन्य रूप शामिल है।

### 5. नीतिगत प्रतिबद्धताएँ

#### 5.1 सुरक्षा और कल्याण

- सभी बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को बढ़ावा देना और प्राथमिकता देना।
- यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय समुदायों के साथ गतिविधियाँ, भ्रमण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा का सम्मान करते हों।

#### 5.2 शोषण और दुर्व्यवहार की रोकथाम

- किसी भी रूप में बच्चों के यौन शोषण पर सख्त प्रतिबंध लगाना।
- नाबालिग या अनुपयुक्त व्यक्तियों के रोजगार या नियुक्ति को रोकना।
- यह सुनिश्चित करना कि यदि कोई स्थानीय रूप से प्राप्त उत्पाद बाल श्रम से उत्पादित किया गया हो, तो उसकी खरीद, उपयोग या प्रचार न किया जाए।

### 5.3 आचार संहिता

सभी कर्मचारियों और भागीदारों को एक लिखित आचार संहिता का पालन करना होगा जो:

- बच्चों के साथ पेशेवर सीमाओं के लिए स्पष्ट अपेक्षाएँ निर्धारित करती है।
- शारीरिक दंड, अनुचित स्पर्श, यौन भाषा, या किसी भी रूप में बच्चों का शोषण निषिद्ध करती है।
- बच्चों के साथ सम्मानजनक, गैर-भेदभावपूर्ण बातचीत की आवश्यकता रखती है।

### 5.4 भर्ती और प्रशिक्षण

- अयोग्य व्यक्तियों को रोजगार से रोकने के लिए पृष्ठभूमि की जाँच सहित सख्त भर्ती प्रक्रियाएँ।
- बाल सुरक्षा, शोषण रोकथाम, और उचित रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं पर कर्मचारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण।

### 5.5 रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया

- सभी चिंताओं या घटनाओं की सूचना तुरंत प्रबंधन या अधिकारियों को दी जानी चाहिए।
- सुरक्षा संबंधी चिंताओं के गोपनीय, विस्तृत और सटीक रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से रखे जाएँगे।
- चिंताएँ उठाने या प्रकट करने वाले बच्चों और व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाएगी।
- आपातकालीन संपर्क:
  - [रिसॉर्ट रिसेप्शन: +960 400 4000](tel:+9604004000)
  - [पुलिस: 119](tel:119)
  - [कोई भी कर्मचारी \(तत्काल कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित\)।](#)

### 5.6 साझेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी

- बाल कल्याण के लिए समर्पित स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करें।
- बाल संरक्षण और शोषण रोकथाम पर समुदाय में जागरूकता कार्यक्रमों का समर्थन करें।

### 6. जवाबदेही और जिम्मेदारियाँ

- **महाप्रबंधक:** कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए समग्र जवाबदेही रखते हैं।
- **विभागाध्यक्ष और मानव संसाधन:** कर्मचारियों के अनुपालन, प्रशिक्षण और जागरूकता सुनिश्चित करते हैं।
- **सभी कर्मचारी:** बाल सुरक्षा मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी साझा करते हैं।

### 7. निगरानी और समीक्षा

इस नीति की:

- वार्षिक समीक्षा की जाएगी, या यदि विधायी परिवर्तन, नए दिशानिर्देश, या महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण आवश्यकता महसूस होती है तो इससे पहले भी।
- बाल सुरक्षा विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों से परामर्श करके इसे अद्यतन किया जाएगा।

### 8. अनुपालन न करना

किसी भी कर्मचारी, ठेकेदार या भागीदार द्वारा इस नीति का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें रोजगार या अनुबंध की समाप्ति तक की कार्रवाई और जहाँ आवश्यक हो, कानून प्रवर्तन को संदर्भित करना शामिल है।

नवंबर 2025 में अद्यतन किया गया

**Peter Gremes**

महाप्रबंधक

## बाल संरक्षण पर आचार संहिता

रीठी फारू रिजॉर्ट के सभी कर्मचारी, ठेकेदार, भागीदार और सहयोगी बच्चों के साथ बातचीत करते समय निम्नलिखित आचरण मानकों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। ये मानक बच्चों को हानि से बचाने और हर समय सुरक्षित, सम्मानजनक तथा पेशेवर आचरण सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

### 1. सामान्य सिद्धांत

- सभी बच्चों के साथ उम्र, लिंग, क्षमता, जाति, धर्म, संस्कृति, या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना गरिमा, निष्पक्षता और सम्मान के साथ व्यवहार करें।
- हमेशा बच्चों के कल्याण और सुरक्षा को प्राथमिकता दें।
- बच्चों के साथ बातचीत में हर समय पेशेवर सीमाओं को बनाए रखें।

### 2. उचित व्यवहार

कर्मचारियों और भागीदारों को चाहिए:

- अपने आप को इस तरह से पेश करें जो बच्चों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करे।
- बच्चों को एक सुरक्षित और सहायक वातावरण में गतिविधियों में भाग लेने के अधिकार को प्रोत्साहित करें।
- दुर्व्यवहार या शोषण की किसी भी चिंता, संदेह, या घटना की तुरंत सूचना दें।
- यह सुनिश्चित करें कि बच्चों के साथ बातचीत सबके सामने और पारदर्शी हो (जैसे, एकांत क्षेत्रों में अकेले रहने से बचें)।
- बच्चों की निजता, व्यक्तिगत स्थान और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करें।

### 3. निषिद्ध व्यवहार

कर्मचारियों और भागीदारों को नहीं करना चाहिए:

- किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि या यौन संबंधी व्यवहार में शामिल होना।
- ऐसी भाषा, इशारों या व्यवहार का उपयोग करना जो अनुचित, आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण या अपमानजनक हो।
- किसी बच्चे को शारीरिक रूप से दंडित करना, अपमानित करना या नीचा दिखाना।
- बच्चों के साथ ऐसे संबंध विकसित करना जिन्हें शोषक, हेरफेर करने वाला या दुर्व्यवहारपूर्ण माना जा सकता है।
- बच्चों को शराब, ड्रग्स, या हानिकारक पदार्थ देना।
- अभिभावक/संरक्षक और प्रबंधन की मंजूरी के बिना बच्चों की तस्वीरें या वीडियो लेना।
- पहले से मंजूरी लिए बिना सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स, या अन्य माध्यमों से बच्चों के साथ व्यक्तिगत संपर्क विवरण का आदान-प्रदान करना या निजी तौर पर संवाद करना।

### 4. कार्य प्रथाओं में सुरक्षा

- गतिविधियों के दौरान बच्चों के साथ काम करते समय हमेशा जोड़ों या समूहों में काम करें।
- सुनिश्चित करें कि माता-पिता/अभिभावकों को उनके बच्चों को शामिल करने वाली किसी भी गतिविधि के बारे में सूचित किया गया है और उन्होंने सहमति दी है।
- गोपनीयता और निजता नीतियों के अनुपालन में बच्चों के सभी रिकॉर्ड, रिपोर्ट या तस्वीरों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करें।
- किसी एक बच्चे के प्रति पक्षपात या विशेष व्यवहार करने से बचें।

### 5. रिपोर्टिंग की बाध्यताएँ

- इस आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत नामित बाल सुरक्षा अधिकारी, विभागाध्यक्ष, या महाप्रबंधक को दी जानी चाहिए।
- बाल शोषण, दुरुपयोग, या इस संहिता के उल्लंघन के संदिग्ध या पुष्ट मामलों की सूचना न देने को गंभीर कदाचार माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप रोजगार या अनुबंध की समाप्ति, और कानूनी प्राधिकरणों को संदर्भित किया जा सकता है।